-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पड़मई में दिनांक 02/03.11.2024 की रात्रि को हुई महिला की हत्या की घटना का थाना नरैनी पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण। हत्या में शामिल अभियुक्त को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **रिश्ते में अभियुक्त की भाभी लगती थी मृतका, भाभी के मजाक से परेशान रहता था अभियुक्त, क्रुद्ध होकर की थी महिला की हत्या। हत्या में प्रयुक्त डण्डा व ईंट बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम पड़मई में दिनांक 02/03.11.2024 की रात्रि को हुई महिला की हत्या की घटना का अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अंबुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में थाना नरैनी पुलिस द्वारा सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल मृतका के पारिवारिक देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 02/03.11.2024.2024 की रात्रि को थाना नरैनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पड़मई में एक महिला की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में मृतका के ससुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना नरैनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा घटना के अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। जांच के क्रम में वैज्ञानिक एवं तकनीकि साक्ष्यों के संकलन एवं संदिग्धों से पूछताछ के परिणामस्वरुप आज दिनांक 07.11.2024 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा घटना में शामिल अभियुक्त की पहचान करते हुए अभियुक्त को नसैनी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त सुनील उर्फ बुक्का से पूछताछ मे पता चला कि मृतका आशा पत्नी शारदा कुशवाहा उसकी रिश्ते की भाभी/भौजाई लगती थी वह अक्सर आए दिन उससे हँसी मजाक करती थी। मृतका अक्सर मजाक में अपने छोटे लड़के को सुनील उर्फ बुक्का का लड़का बताती थी साथ ही कहती थी कि मैं तुमसे शादी करूंगी तथा अन्य तरह के मजाक भी करती थी। मजाक में अभियुक्त की मां से कहती थी कि सुनील सारा पैसा मुझे देता है जिससे अभियुक्त की मां अभियुक्त से काफी नाराज रहती थी। मृतका के हँसी मजाक से अभियुक्त सुनील उर्फ बुक्का काफी नाराज रहता था उसने कई बार अपनी भाभी से इन सब के लिए मना भी किया। अभियुक्त सुनील उर्फ बुक्का ने क्रुद्ध होकर आशा उपरोक्त की हत्या की योजना बनाई। दिनांक 02/03.11.2024 की रात्रि अभियुक्त सुनील छत के रास्ते मृतका आशा के घर में चला गया जहां आशा अपने बच्चों के साथ सो रही थी। अभियुक्त ने आशा के सिर पर डण्डे से वार किया जिससे वह बेहोश हो गई फिर वह उसे घसीटकर बाहर ले गया और घर के पीछे ले जाकर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को कूड़े व पत्तियों से ढ़क दिया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा व ईंट बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा मामले का सफल अनावरण करने वाली टीम को 10 हजार रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

बरामदगी-

- आलाकत्ल बांस का डण्डा व ईंट

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुनील कुशवाहा उर्फ बुक्का पुत्र रामपाल उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी पड़मई थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0 273/24 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 थाना नरैनी राममोहन राय
2. उ0नि0 इन्दल यादव
3. उ0नि0 इबरार सिद्दिकी
4. हे0कां0 राजेश कुमार
5. कां0 अनुभव
6. कां0 ऋषभ